दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

दिनांक 29/06/2015

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 29/06/2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दुबे	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 एच.एस. शुक्ला	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5.	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
7.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ शिक्षक, महाविद्यालय	सदस्य
8.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
9.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त –1. माननीय उच्च न्यायालय से आच्छादित प्रकरण–

(क) श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सुरेश चन्द्र पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य C.No.-5890/2015 में पारित आदेश दिनांक 03/02/2015 (बी0एड0 वर्ष 2005–06 की मूल/औपबन्धिक प्रमाणपत्र जारी करने हेतु) जिसमें जो चार सप्ताह में प्रकरण निस्तारित करना है, पर विचार।

निर्णय– समिति ने विचारोपरान्त विधिक राय का संज्ञान लेते हुए सर्वसम्मति से श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सुरेश चन्द्रपाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य C.No.-5890/2015 में पारित आदेश दिनांक 03/02/2015 के क्रम में औपबन्धिक (प्रोविजनल) प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया।

(ख) श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0 11440/2015 राजेश कुमार बनाम कुलपति दी0द0उ0गो0वि0वि0गो0 एवं अन्य में पारित आदेश (बी0एस–सी0 सत्र 1993 की डिग्री देने के क्रम में) दिनांक 10/03/2015 जो तीन माह में निस्तारित करना है, पर विचार।

निर्णय– समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री राजेश कुमार गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0 11440/2015 राजेश कुमार बनाम कुलपति दी0द0उ0गो0वि0वि0गो0 एवं अन्य में पारित आदेश (बी0एस–सी0 सत्र 1993 की डिग्री देने के क्रम में) दिनांक 10/03/2015 जो तीन माह में निस्तारित करना है, के प्रकरण में अभ्यर्थी को डिग्री दे दी जाय तथा बी0एस–सी0 भाग तीन के अंकतालिका की प्रति सुरक्षित रखते हुए सारणीयन पंजिका में एक अलग पृष्ठ लगा कर बी0एस–सी0 भाग तीन का अंक दर्ज कर लिया जाय।

(ग) श्री रवीन्द्र सिंह, विवेचक, अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, खण्ड–वाराणसी के पत्र संख्या–सी.वी. 217/14 दिनांक मार्च 03, 2015 (मु.अ.सं. 328/13 धारा 420/467/468/471 भा.द.वि. थाना कैण्ट जनपद वाराणसी के अभियोजन से सम्बन्धित अभिलेख के सम्बन्ध में) के क्रम में श्री ज्ञानचन्द्र सोनकर पुत्र श्री हरिराम बी0एड0 सत्र 1996 विश्वविद्यालय केन्द्र अनुक्रमांक 106036 की सारणीयन पंजिका में टेम्परिंग पाये जाने के क्रम में जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित जांच समिति की आख्या पर विचार। (जांच आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी)

निर्णय– कुलपति जी द्वारा गठित जांच समिति ने पाया कि विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष में संरक्षित सारणीयन पंजिका व अधिष्ठाता शिक्षा संकाय के कार्यालय में संरक्षित सारणीयन पंजिका दोनों में श्री ज्ञान चन्द्र सोनकर पुत्र श्री हरिराम बी0एड0 सत्र 1996 के सम्मुख नाम, पिता का नाम तथा प्राप्तांकों में स्पष्ट रूप से टेम्परिंग पाया गया है। अतः समिति इस प्रकरण में विधिक कार्यवाही हेतु संस्तुति करती है। इस सन्दर्भ में अग्रेतर कारवाई से पूर्व अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, वाराणसी द्वारा दर्ज मुकदमें का भी संज्ञान ले लिया जाय।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

(ग) वार्षिक परीक्षा–2014 के बी0ए0 भाग एक, दो, तीन तथा बी0एस–सी0 भाग एक, दो, तीन, बी0काम0 भाग एक, दो, तीन, एम0काम0 भाग एक,दो एवं एम0ए0 भाग एक दो एवं बी0एस–सी0 कृषि भाग एक,दो, तीन के उन अभ्यर्थियों का जिनका परीक्षाफल INC है तथा उनकी उत्तर पुस्तिका नहीं मिल रही है और वह UFM में आरोपित भी नहीं है के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

नोट–1. श्री सुधीर चौहान बी0ए0 तृतीय वर्ष–2014 अनुक्रमांक 7111100303, शारीरिक शिक्षा का अंक न प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका योजित किये हैं।

2. यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/15 अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु 5 पर रखा गया था। जिसमें समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को परीक्षा समिति की आगामी बैठक में रखा जाय।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों को औसत अंक दे दिया जाय ताकि उनका सत्र खराब न हो तथा इस प्रकार की स्थिति न आए इसे सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

(क) वार्षिक परीक्षाओं हेतु जारी निर्देश के बिन्दु 5 में यह वर्णित है कि "प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो परिप्रेक्षक अवश्य हों.....ध्यान रहे कि कुल परिप्रेक्षकों एवं कुल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 1 और 20 का ही रहे" के क्रम में जिन प्रश्नपत्रों में 20 से कम परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं वहां पर परिप्रेक्षकों के भुगतान/बिल समायोजन आ रही समस्या पर विचार।

निर्णयः– समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया/स्पष्ट किया कि "जहां 20 (बीस) से कम परीक्षार्थी प्रतिदिन परीक्षा देते हैं वहाँ प्रतिदिन एक कक्ष के दो परिप्रेक्षकों के तथा जहाँ 20 से 40 के बीच परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं वहाँ भी दो परिप्रेक्षकों तथा जहाँ एक दिन की परीक्षा में 40 (चालीस) से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं वहाँ 20 (बीस) परीक्षार्थियों पर एक परिप्रेक्षक के अनुपात से भुगतान/समायोजन किया जाय।"

(ख) समिति ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया कि– जिस प्रकार प्रायोगिक/गौखिकी के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक स्नातक के लिए रू0 450.00 (चार सौ पचास रूपये) तथा स्नातकोत्तर के लिए रू0 600.00 (छः सौ रूपये मात्र) निर्धारित है, उसकी प्रकार लिखित परीक्षा में भी न्यूनतम पारिश्रमिक की यही धनराशि निर्धारित की जाय।

(ग) समिति के कुछ सदस्यों ने शोध निबन्ध (डिजरटेशन) के मूल्यांकन की दर काफी कम होना अवगत कराया, तत्पश्चात समिति ने सम्यक विचारोपरान्त प्रति शोध निबन्ध (डिजरटेशन) की मूल्यांकन की दर रू0 60.00 से रू0 100.00 करने की संस्तुति की।

समिति के समस्त सदस्यों ने प्रो0 सुरेन्द्र दुबे अधिष्ठाता कला संकाय के दिनांक 30/06/2015 को सेवानिवृत्त होने के क्रम में उनके द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में किये गये योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

परीक्षा नियंत्रक 30/6/15

कुलपति